इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2011—श्रावण 14, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्रमांक एफ. 19—12/2009/12/1—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**6. उत्खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति,**— अनुसूची एक तथा दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों को प्रदान करने तथा उसका नवीकरण, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारी व्दारा, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, कॉलम (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक किया जाएगा :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	खनिज (3)	शक्तियों की सीमा (4)
1.	संचालक	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक) जहां आवेदित क्षेत्र 5.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(दो) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 एवं 5 (निजी भूमि) में विनिर्दिष्ट खनिज	(दो) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(तीन) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
2.	कलक्टर/अपर कलक्टर (भारतीय प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतनमान)	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक) जहां आवेदित क्षेत्र 5.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(दो) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 एवं 5 (निजी भूमि) में विनिर्दिष्ट खनिज	(दो) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(तीन) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन) जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हेक्टर से अधिक तथा 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(चार) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टा/भट्टा में ईंट तथा कवेलू बनाने हेतु साधारण क्ले (मिट्टी)	(चार) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(पांच) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 5 से 12 में विनिर्दिष्ट खनिज	(पांच) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज. (दो) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टा/भट्टा में ईंट तथा कवेलू बनाने हेतु साधारण क्ले(मिट्टी) (तीन) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 5 से 12 में विनिर्दिष्ट खनिज	(एक) जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हेक्टर से अधिक न हो. (दो) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो. (तीन) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.

(2) नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) अनूसूची एक के अनुक्रमांक 5 तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विर्निदिष्ट खनिजों की शासकीय भूमि में स्थित खदानों का आवंटन केवल नीलामी व्दारा किया जाएगाः

परन्तु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) के पक्ष में अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनन पट्टा प्रदान किया जा सकेगा।"।

(3) नियम 22 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी

अ. क्र.	खनिजों का नाम	कालावधि	
		व्यक्तिगत प्रकरण के मामले में	सहकारी सोसाटियों के मामले में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चूना पत्थर जिसका उपयोग भट्टों में भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला चूना बनाने के लिए किया जाए.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
2.	फर्शीपत्थर—प्राकृतिक परतदार चट्टान, जिसका उपयोग फर्शी, छत इत्यादि के लिए किया जाता है और जो काटने एवं तराशने के उद्योग में उपयोग किया जाता है.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
3.	मशीन द्वारा गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु)	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
4.	बेनटोनाइट/फुलर्स अर्थ	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष
5.	चिमनी भट्टा तथा कवेलू उद्योग के लिए मिट्टी	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
6.	ईंट, बर्तन, कवेलू, इत्यादि बनाने के लिए साधारण मिट्टी, चिमनी भट्टा के सिवाय.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
7.	चूना कंकड़	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	ग्रेवल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
9.	लाईम शेल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
10.	रेह मिट्टी	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
11.	स्लेट जिसका भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया गया हो.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
12.	शेल जब भवन निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया गया हो.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
13.	ऊपर विनिर्दिष्ट न किए गए खनिजों के अलावा अन्य कोई गौण खनिज.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष

(4) नियम 36 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(1) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिजों तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विर्निदिष्ट खनिजों की शासकीय भूमि में स्थित खदानों का आवंटन केवल नीलामी द्वारा किया जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) के पक्ष में अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनन् पट्टा प्रदान किया जा सकेगा.".

Bhopal, the 23rd July 2011

No. F.19-12/2009/12/1-In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996, namely: -

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. **Power to grant quarry lease.**- Quarry lease in respect of minerals specified in Schedule I and II shall be granted and renewed by the authority mentioned in column (2) for the minerals specified in column (3) subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (4) thereof of the table below:-

Table

S. No.	Authority	Minerals	Extent of powers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director	(i) Minerals specified in serial numbers 1 to 3 of Schedule-I.	(i) Where the area applied for exceeds 5.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4 & 5 (private land) of Schedule-I.	(ii) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
		(iii) Minerals specified in serial numbers 6 and 7 of Schedule-I.	(iii) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
2.	Collector/Additional Collector (Senior IAS Scale)	(i) Minerals specified in serial numbers 1 to 3 of Schedule-I.	(i) Where the area applied for does not exceeds 5.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4 & 5 (private land) of Schedule-I.	(ii) Where the area applied for does not exceeds 4.00 hectares.
		(iii) Minerals specified in serial numbers 6 and 7 of Schedule-I.	(iii) Where the area applied for exceeds 2.00 hectares and does not exceeds 4.00 hectares.
		(iv) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II. ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/ kilns.	(iv) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.

(1)	(2)	(3)	(4)
		(v) Mineral specified in serial numbers 5 to 12 of Schedule-II	(v) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
3.	Officer Incharge, Mining Section	(i) Minerals specified in serial number 6 and 7 of Schedule-I.	(i) Where the area applied for does not exceeds 2.00 hectares
		(ii) Minerals specified in serial number 2 of Schedule-II. ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/ kilns.	(ii) Where the area applied for does not exceeds 4.00 hectares
		(iii) Mineral specified in serial number 5 to 12 of Schedule-II	(iii) Where the area applied for does not exceeds 4.00 hectares".

(2) In rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted,namely: -

"(1) The quarries of Minerals, specified in serial number 5 of Schedule I and serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II, situated in government land, shall be allotted only by auction:

Provided that quarry lease of mineral specified in serial number 1 of Schedule II may be granted in favour of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (Government of Madhya Pradesh Undertaking).".

(3) In rule 22, for the existing table, the following table shall be substituted, namely: -

"S. No.	Name of the Minerals	Period	
		In case of individual	In case of co-operative Society
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material.	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.
2.	Flagstone-Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc. and used in cutting and polishing industry.	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.
3.	Stone for making gitti by mechanical crushing (i.e. use for crusher).	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.
4.	Bentonite/Fuller's earth	Five years with renewal clause.	Five years with renewal clause.
5.	Clay for chimney Bhatta and tiles industry.	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Ordinary clay for making bricks, pots tiles etc. except chimney Bhatta.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
7.	Lime Kankar	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
8.	Gravel	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
9.	Lime shell	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
10.	Reh mitti	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
11.	Slate when used for building material.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
12.	Shale when used for building Material.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
13.	Any other minor mineral not specified above.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.

(4) For sub-rule (1) of rule 36, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) The quarries of mineral, specified in serial number 5 of Schedule I and minerals specified in serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II situated in government land, shall be allotted only by auction :

Provided that quarry lease of mineral specified in serial number 1 of Schedule II may be granted in favour of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (Government of Madhya Pradesh Undertaking).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.

कार्यालय, राहत आयुक्त

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 48-रा.आ.-स्था.-2010 भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.** इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नैसर्गिक आपदा राहत (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती नियम, 2011 है।

2. **परिभाषाएं.** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय की नैसर्गिक आपदा राहत चतुर्थ श्रेणी सेवा;

   (ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

3. **लागू होना.** ये नियम अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य (आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) को लागू होंगे।

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतनमान, पदों की भर्ती का तरीका, आयु सीमा तथा उक्त पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें अनुसूची के कालम (4) से (10) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

5. **व्यावृत्ति.** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुकम्पा नियुक्ति तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए, राज्य सरकार व्दारा, इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी.

6. **सेवा का गठन.** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों मूल रूप से [पद] धारण कर रहे हैं;

(दो) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हैं; और

(तीन) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

7. **भर्ती का तरीका.**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा में भर्ती चयन व्दारा की जाएगी।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान सेवा में किसी पद को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन व्दारा निर्धारित की जाएगी।

(3) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से नियमों में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न सेवा में भर्ती का ऐसा तरीका अपना सकेगी।

8. **सेवा में नियुक्ति.** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार व्दारा की जाएंगी।

9. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.** चयन के लिए पात्र होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(क) **आयु.**

(एक) उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष (अनुसूची के कालम (7) में यथाविनिर्दिष्ट) आयु पूरी कर ली हो किन्तु 35 वर्ष (अनुसूची के कालम (7) में यथाविनिर्दिष्ट) आयु पूरी न की हो।

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(तीन) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(1) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(2) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी सरकारी सेवक हो, तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके व्दारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.— पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्ही संघटक इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण छंटनी किया गया था।

(4) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके व्दारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.– पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु या आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व संबंधित इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था:–

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसकी सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आंउट कन्सेशन) के अधीन छंटनी की गई हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार,

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

नामांकित किया गया हो:–

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) विधवा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 50 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह शिथिलीकरण, अन्य आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त उपलब्ध होगा।

(8) उन अभ्यर्थियों के लिए, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(चार) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दंपत्ति के पुरुस्कृत सवर्ण पति/पत्नि के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(पांच) "विक्रम पुरस्कार धारक" अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छह) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(सात) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके व्दारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय की जाएगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणः—

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (क) (तीन) में उल्लिखित आयु रियायतों के अधीन चयन हेतु बुलाया गया है, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन से पहले या उसके बाद, सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे तथा किसी भी अन्य मामले में उनकी आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।

(ख) **शैक्षणिक अर्हताएं.**

अभ्यर्थी के पास अनुसूची में यथादर्शित सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

(ग) **फीस.** अभ्यर्थी को, भर्ती के लिए आवेदन के साथ सरकार द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

(10) **सेवा के लिए निरर्हता.**

(1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई आयु पूरी करने से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में प्रकरण लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

11. **निर्वचन.**

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

12. **शिथिलीकरण.**

इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

13. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्व्दारा निरस्त किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची

अनुक्रमांक	पदो के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा भर्ती का तरीका	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा/प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई हो	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	भृत्य	5	चतुर्थ श्रेणी	रूपये 4440-7440+ ग्रेड पे रूपये 1300	100 प्रतिशत	18 वर्ष 35 वर्ष	8 वीं उत्तीर्ण		
2.	डाक वाहक (डाक राइडर)	3	चतुर्थ श्रेणी	रूपये 4440-7440+ग्रेड पे रूपये 1300	100 प्रतिशत	18 वर्ष 35 वर्ष	8 वीं उत्तीर्ण		

क्र. एफ 48-रा.आ.-स्था.-2010 Bhopal, the 3rd June 2011

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules for regulating the recruitment of class IV employees of the office of Madhya Pradesh Relief Commissioner, namely :-

RULES

1. **Short title.** These rules may be called the Madhya Pradesh Natural Calamity Relief (Class IV) Recruitment Rules, 2011.

2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Service" means the Natural Calamity Relief Class IV service of the office of Madhya Pradesh Relief Commissioner;

(b) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

3. **Application.** These rules shall apply to every member of service (excluding employees paid from contingencies) mentioned in column (2) of the Schedule.

4. **Number of posts, classification and Pay Scale.** The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the said posts shall be as specified in column (4) to (10) of the Schedule.

5. **Savings.** Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, compassionate appointment and handicapped

persons in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. Constitution of service. The service shall consist of the following persons, namely :-

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the post specified in the Schedule;

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

7. Method of Recruitment.

(1) On the commencement of these rules recruitment to the service shall be made by selection.

(2) Subject to the provisions of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling any post in service during any particular period and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may adopt such method of recruitment to the service, other than those specified in the rules with the consent of the General Administration Department.

8. Appointment to service. All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government.

9. Conditions of eligibility for direct recruitment. In order to be eligible for selection, a candidate should fulfill the following conditions, namely :-

(a) Age.

(i) He must have attained the age of 18 years (as specified in column (7) of Schedule) but not have attained the age of 35 years (as specified in column (7) of Schedule on the first day of January next following the date of commencement of examination.

(ii) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(iii) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are or have been the employees of the Government of Madhya Pradesh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(1) A candidate, who is a permanent Government servant and applying for another post should not be more than 40 years of age.

(2) A candidate who is a temporary Government servant and applying for another post should not be more than 40 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees and work-charged employees.

(3) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.- The term "retrenched Government servant" denotes a person, who was in temporary Government service of the State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was retrenched because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(4) A candidate who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the concerning unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service :-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on :-

(a) completion of short-term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Ex-servicemen of Madras civil unit.

(4) Ex-serviceman, invalidated out of service.

(5) Ex-serviceman, discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(6) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shoot, wounds, etc.

(7) The general upper age limit shall be relaxable up to 50 years in respect of the widow women candidates. This relaxation will be available in addition to other age relaxation.

(8) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum two years for those candidates who are holding green cards under the family welfare programme.

(iv) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter Caste Marriage Incentive Programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department.

(v) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.

(vi) The upper age limit shall be relaxable up to 40 years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation / Boards.

(vii) The general upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 40 years.

Note :-

(i) Candidates, who are called for selection under the age concessions mentioned in clause (a) (iii) above shall not eligible for appointment, if after submitting the

application, they resign from service either before or after selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application and in no other case their age limits be relaxed.

(b) **Educational Qualification.** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in the Schedule.

(c) **Fees.** The candidate shall have to pay the fees along with the application for recruitment, prescribed by the Government.

10. Disqualification for service.

(1) A candidate shall not be eligible for any service or post who has married before attaining the age prescribed for marriage.

(2) A candidate shall not be eligible for any service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January, 2001 and no candidate shall be disqualified for appointment to the Service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence :

Provided that where a case is pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

11. Interpretation. If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

12. Relaxation. Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt any manner less favourable to him than that provided in these rules.

13. Repeal and Saving. All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

S. No.	Name of Posts	No. of Posts	Classifi--cation	Pay Scale	Method of Recruitment- By direct Recruitment	Age Limit Minimum/ Maximum	Essential Educational qualification	Probation/ Training period, if any	Remarl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peon	5	Class IV	Rs. 4440-7440 + Grade pay Rs. 1300	100 percent by Direct Recruitment	18 years 35 years	8th Pass		
2.	Dak Rider	3	Class IV	Rs. 4440-7440 + Grade pay Rs. 1300	100 percent by Direct Recruitment	18 years 35 years	8th Pass		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.